कुलाधिपति
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर (उ.प्र.)
CHANCELLOR
DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY
GORAKHPUR (U.P)

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN, LUCKNOW

Ref. No.................................. Date..................................

पत्रांकः ई– 1796/7–जी0एस0(68)/2021–II दिनांकः 20 मार्च, 2025

आदेश

1. प्रत्यावेदक प्रो. विजय शंकर वर्मा, आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (आगे 'विश्वविद्यालय) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (आगे 'अधिनियम') की धारा 68 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 20.12.2021 के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 08.12.2021 को निरस्त किये जाने एवं वरिष्ठता सूची के आचार्य संवर्ग में उसे सही कमांक पर अंकित कराये जाने की याचना की गयी है।

2(क). प्रत्यावेदक का कथन है कि कुलपति के आदेश दिनांक 04.12.2021 के अनुपालन में कुलसचिव द्वारा निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची के माध्यम से, प्रत्यावेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन पर बिना निर्णय लिये, प्रत्यावेदक को आचार्य संवर्ग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.12.2021 के कमांक संख्या–88 पर प्रतिस्थापित कर दिया गया। उक्त आदेश अधिनियम, 1973 तथा परिनियमों में दिये गये प्रावधानों की पूर्णतः अवहेलना है व प्रत्यावेदक के प्रति घोर अन्याय है।

2(ख). विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग में प्रत्यावेदक निम्नलिखित विवरणानुसार दिनांक 30.09.2005 से कार्यरत है:–

पदनाम	कार्यभार ग्रहण तिथि
उपाचार्य (ओपन पोस्ट)	30.09.2005
आचार्य (CAS के अन्तर्गत प्रोन्नत)	01.10.2011
आचार्य (ओपन पोस्ट)	29.04.2018

प्रत्यावेदक को दिनांक 29.04.2018 से नवम्बर 2018 तक पूर्व की भॉति ही वेतन मिलता रहा, किन्तु उसके बाद नये वेतनमान में उसका वेतन अचानक न्यूनतम स्तर पर निर्धारित कर दिया गया, जिसके सापेक्ष प्रत्यावेदन देने पर बनाई गई समिति द्वारा वेतन संरक्षण की संस्तुति के बाद प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया गया। प्रत्यावेदक की वरिष्ठता को पूर्व की भॉति ही निर्धारित करते हुए दिनांक 04.01.2020 को उसे गणित एवं सांख्यिकी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। दिनांक 08.12.2021 को जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची, प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन को बिना निस्तारित किये ही जारी कर दी गयी एवं प्रत्यावेदक के स्थान पर किसी अन्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, जिससे प्रत्यावेदक द्वारा अधिनियम, 1973 में दी गयी व्यवस्था एवं उसकी वरिष्ठता के दृष्टिगत वरिष्ठता सूची के आचार्य संवर्ग में स्वयं को सही कमांक पर अंकित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. विश्वविद्यालय की आख्या दिनांक 27.12.2023 में उल्लेख है कि परिनियमावली के परिनियम 18.09 में दी हुई व्यवस्थानुसार गठित वरिष्ठता समिति के निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय की अधिसूचना दिनांक 20.12.2023 के द्वारा प्रत्यावेदक की वरिष्ठता उनके CAS में आचार्य पद की अर्हता तिथि दिनांक 01.10.2011 से मानी गयी है। तद्कम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित आचार्य संवर्ग की वरिष्ठता सूची आदेश दिनांक 08.12.2021 को यथा संशोधित मानी गयी है, जिससे प्रत्यावेदक प्रो. वर्मा का प्रत्यावेदन निस्तारित किया जा चुका है अतएव प्रकरण निक्षेपित किया जाये।

4. प्रत्यावेदक द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर दिनांक 11.03.2024, 18.03.2024, 01.03.2024 व 04.03.2024 में उल्लेख है कि कुलपति द्वारा प्रत्यावेदक के वरिष्ठता संबंधी प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है, किन्तु वरिष्ठता

संबंधी प्रकरण के कारण प्रत्यावेदक को जिन वित्तीय (वेतन) एवं प्रशासनिक परिलब्धियों से वंचित किया गया था, उन पर निर्णय लिया जाना शेष है।

5. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक प्रो. वर्मा, आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रकरण वरिष्ठता विवाद से अन्तर्ग्रस्त है। विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर समुचित कार्यवाही न किये जाने के दृष्टिगत प्रत्यावेदक द्वारा अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 08.12.2021 को निरस्त कर वरिष्ठता सूची में उसे उचित स्थान पर प्रतिस्थापित कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किये जाने की याचना की गयी है।

6. उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली के परिनियम 18.09 के प्रावधानानुसार, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मध्य उत्पन्न वरिष्ठता–विवादों के निस्तारण हेतु उचित वैधानिक मंच **(appropriate statutory forum)** कुलपति द्वारा गठित वरिष्ठता समिति है।

7. प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों में यह स्वीकृत तथ्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदक के वरिष्ठता संबंधी प्रकरण को निस्तारित करते हुए उसे याचित अनुतोष प्रदान कर दिया गया है, किन्तु प्रत्यावेदक के कथनानुसार, वरिष्ठता विवाद के कारण उत्पन्न वेतन व प्रशासनिक परिलब्धियों पर निर्णय लिया जाना शेष है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदक को याचित अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के दृष्टिगत प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन निष्प्रयोज्य (infructuous) हो गया है, फलस्वरूप प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन पर गुण–दोष (merits) के आधार पर सम्प्रति कोई अन्य आदेश पारित किये जाने का औचित्य नहीं रह गया है तथापि उसकी वेतन विसंगति व

कुलाधिपति
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर (उ.प्र.)
CHANCELLOR
DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY
GORAKHPUR (U.P)

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN, LUCKNOW

Ref. No... ....   Date.................................

प्रशासनिक परिलब्धियों पर, यदि कोई निर्णय लिया जाना शेष है तो विश्वविद्यालय को प्रकरण में परीक्षणोपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

8(क). अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन, निष्प्रयोज्य (**infructuous**) हो जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

8(ख). उपर्युक्त के साथ ही, प्रत्यावेदक के वरिष्ठता–विवाद के कारण उत्पन्न वेतन विसंगति व प्रशासनिक परिलब्धि, यदि कोई हो तो, उस पर परीक्षणोपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण विश्वविद्यालय को संदर्भित किया जाता है।

आनंदीबेन

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रो. विजय शंकर वर्मा, आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
2. कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
3. गार्ड फाईल।

20/3/25

(डा. सुधीर एम. बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।